



**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा  
(छत्तीसगढ़)**

—० आदेश ०—

क्रमांक / ४४९ / सां.लि./COVID-19/2021

दन्तेवाड़ा दिनांक 15/05/2021

कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/444/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 05.05.2021 के द्वारा दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या चिन्ता का विषय है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे सम्पूर्ण दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एकट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/444/सां.लि./COVID-19/2021 दिनांक 05.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं दीपक सोनी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :—

1. दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा।
2. दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
3. उपरोक्त अवधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी :—
  - 1— सभी सुपर मार्केट /सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक रथल बंद रहेंगे।
  - 2— जिला अन्तर्गत रांचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
  - 3— सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपरिशेति वाले सभी धार्मिक रथल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन रथल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

... 2 ...

  
Collector  
Dakshin Bastar  
DANTEWADA (C.B.)

- 4— दक्षिण वरतर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु 50 प्रतिशत स्टॉफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विपयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत् टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेवले एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाप, रेक प्यार्इट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् रहेगी।
- 5— स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समरत परीक्षाओं को छोड़कर कोविंग क्लासेस सहित अन्य समरत शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
- 6— सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत् 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
- 7— सभी प्रकार की मंडियों एवं सब्जी बाजार आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गा/फल सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक ही संचालित होगा।
- 8— सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फारस्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- 9— होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल केवल स्थिगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत् रहेगी, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिये होटल एवं रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी आर्डर समय रात्रि 09.00 बजे तक लिया जा सकेगा। तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 4 जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को टोकन की व्यवस्था कर खोलो जाए, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। दुकानदार द्वारा 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी किया जाये एवं हितग्राहियों/लाभार्थियों को राशन वितरण किया जायेगा। खाद्य विभाग उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

... 3 ...

5. सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक दुकाने बंद रहेगी । किराना दुकानें, डेलीनीड्स, आटा चक्की, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादन की दुकानों को प्रातः 6.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी ।
6. वाहन मरम्मत/पंचर सुधार/ऑटो पार्ट्स/स्टेशनरी/लॉण्ड्री सर्विसेस/आटा चक्की/ऑप्टिकल शॉप/निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें/रिपेयरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रीकल्स दुकानें (शो-रूम प्रतिबंधित), पेट शॉप/एकवेरियम/कृषि से संबंधित (खाद/उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं उससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत) दुकाने अधिकतम अपरान्ह 03.00 बजे तक संचालित की जा सकेगी । वाहन विक्रय हेतु शो-रूम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खुल सकेंगे ।
7. फल, सब्जी प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक-अप/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी । इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा । रथानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कार्मर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फिलपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु शॉप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे । उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी । इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा ।
8. उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा । संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में रिथित प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे । उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी ।
9. पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सियों को खोले जाने की अनुमति रहेगी । गैस एजेन्सियां होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
10. न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं संध्या 05.30 बजे से संध्या 08.00 बजे तक ही होगी । इलेक्ट्रिक्शन/प्लंबर, एसी, कूलर एवं सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं/मरम्मत के लिए दुकानें प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खोले जा सकेंगे । यह स्पष्ट किया जाता है कि एसी, पंखे, कूलर की दुकानें विक्रय के लिए नहीं खोली जा सकेंगी, परन्तु होम डिलीवरी की अनुमति होगी ।
11. निजी निर्माण कार्य साथ 05.00 बजे तक तथा औद्योगिक संरक्षानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर रांचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वनव विभाग के लघु/गौण वनोपज से संबंधित संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे ।

... 4 ...

- 12 पूर्व से ही विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रुम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- 13 बैंक एवं पोर्ट ऑफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कोविड गाईड लाईन का पालन करते हुए सभी प्रकार के लेनदेन संचालित करने की अनुमति होगी।
- 14 लोक सेवा केन्द्र एवं चाईस सेंटर अपराह्न 03.00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मारक तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जायेगी।
- 15 उपरोक्त आदेश में अतिआवश्यक सेवाओं से जुडे छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय लॉक डाउन अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे।
- 16 आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस रेट्रेण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- 17 अपरिहार्य परिस्थितियों में दक्षिण बर्स्टर दन्तेवाड़ा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में समिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/पोर्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वारथ्य कर्मियों/चिन्हांकित वालेन्टियर्श की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप मान्य किया जायेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एस.डी.एम. द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे। रेल/बस/हवाई यात्रा के माध्यम से जिले में आने वाले यात्रियों का कोविड-19 जांच अनिवार्य होगा।
- 18 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एकिटव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
- 19 कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। सी.जी. टीका रजिस्ट्रेशन पश्चात् टीकाकरण हेतु संबंधित हितग्राही को पर्ची के साथ टीकाकरण केन्द्र में पहुंचना आवश्यक होगा।
- 20 मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मारक संवंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 21 राज्य शासनस या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

... 5 ...

- 22 जरूरत मंदो को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संरथाओं/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी ।
- 23 उपरोक्त अवधि में केवल अस्पताल, विलनिक, दवा की दुकानें, पशु चारा से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पंप एवं होम डिलीवरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेगी ।
- 24 उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों को आकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा ।
- 25 जिले के नगरीय निकाय/ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक हाट-वाजार पूर्णतः प्रतिवंधित रहेगी ।  
उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समर्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिवंधित रहेगी ।
- 26 टेरिंग पश्चात् कोविड पाजिटिव पाये जाने पर चिकित्सक के अनुमति पश्चात् ही होम आईसोलेशन की अनुमति होगी । विरोध की दशा में एवं टीकाकरण के संबंध में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम एवं धाराओं के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

यह आदेश दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12.00 बजे से लागू होगा ।



  
 (दीपक सोनी)  
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
 जिला दक्षिण बर्तार, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./ ४९० / सां.लि./ COVID-19 / 2021

दन्तेवाड़ा दिनांक 15/05/2021

## प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
3. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
6. कमिशनर, बस्तर संभाग, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
13. महाप्रबंधक, एन.एम.डी.सी. बचेली / किरन्दुल
14. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
16. सहायक संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
17. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
18. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
19. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
20. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
21. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856-252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।



(दीपक सोनी)  
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
 जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा